न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 67/2017 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. श्रीमती शोभा पुत्री स्व. समाजी पत्नी नारायणलाल जाति घांची निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. मोहनलाल पुत्र देवारामजी
2. श्रीमती ममता देवी पुत्री स्व. समाजी पत्नी रमेश जी जाति घांची निवासी दुजाणा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		2. पांची पत्नी देवारामजी जातिगण घांची निवासीगण कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
		3. सुमटी पुत्री देवारामजी पत्नी खेतारामजी जाति घांची निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
		4. बदामी पुत्री देवारामजी पत्नी थानारामजी जाति घांची निवासी मीणो का बास, बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली
		5. स्व. जवानाराम पुत्र पूरारामजी के कायम मुकाम 5/1 जगदीश पुत्र स्व. जवानाराम 5/2 मगाराम पुत्र स्व. जवानाराम 5/3 देशाराम पुत्र स्व. जवानाराम 5/4 चम्पादेवी पत्नी स्व. जवानाराम
		6. ताराराम पुत्र पूराराम जातिगण घांची निवासीगण कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
		7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मण के. चौधरी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11-7-19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सुमेरपुर (भू.अ.) द्वारा ग्राम कोसेलाव के नामान्तरकरण संख्या 1084 दिनांक 13.02.2008 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया।

जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थीगण बावजूद तामील सम्मन के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किए जाने हेतु बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 331 रकबा 2.43 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम की आराजी अपीलाण्ट के पिता समा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 व 5/1 लगायत 5/4 के पिता–पति व रेस्पो. स. 6 की सहखातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर अपीलाण्टगण के पिता का उनके जीवनकाल तक कब्जा व काश्त था, उनके पिता की मृत्यु पश्चात उनकी माता ने नाता विवाह कर लिया एवं अपीलाण्टगण नाबालिग होने से उनका भरण पोषण उनके नाना–नानी ने किया तथा वे उनके साथ ही निवासरत थी एवं कभी–कभी रेस्पोडेण्टगण 1 से 6 के यहां भी उनका आना–जाना रहता था। अपीलाण्टगण के पिता समा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता देवाराम के देहान्त हो जाने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 ने राजस्व कार्मिकों से मिलावट करते हुए राजस्व अभियान 2008 में समा पुत्र पुरा को नाऔलाद फौत बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 1048 दिनांक 13.02.2008 अमल दरामद करा दिया, जो काबिल निरस्त है। जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा न तो समा पुत्र पुरा के विधिक वारिशान की जांच की गई, न ही उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही कोई नाटिस दिया गया। मात्र रेस्पोडेण्टगण के कहने से ही बिना जांच किए जैर अपील नामान्तकरण दर्ज कर दिया। अपीलाण्टगण खातेदार समा पुत्र पुरा की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी उनका नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज न कर नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के नाम स्वीकृत कर दिया, जिससे अपीलाण्टगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई, इस प्रकार स्वीकृत नामान्तरकरण Ab initio void and Nonest होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलाण्ट ने समा पुत्र पूरा की जायन्दा पुत्रियां होने बाबत बतौर सबूत स्कुल के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां पत्रावली में प्रस्तुत है। अपीलाण्टगण ने अपना नाम अपने पिता की भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बाबत जांच करने पर उन्हें जैर अपील नामान्तकरण की जानकारी हुई, तब उन्होंने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपील पेश की, जिसे उनके हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्टगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं मातहत अदालत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्टगण हक अधिकरों का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 331 रकबा 2.43 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम की आराजी अपीलाण्ट के पिता समा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 4 व 5/1

जिला कलेक्टर, पाली

लगायत 5/4 के पिता–पति व रेस्पो. स. 6 की सहखातेदारी भूमि स्थित है। जिसका आपसी बंटवाडा हो जाने के पश्चात खसरा नम्बर 331 रकबा 0.81 है., 331/1 रकबा 0.81 है. व 331/2 रकबा 0.81 हैक्टेयर बने हैं। समा पुत्र पुरा की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1084 दर्ज किया गया, उसमें समा को नाऔलाद फौत होना बताया गया है, जबकि समा पुत्र पुरा के दो पुत्रियां अपीलाण्टगण वक्त नामान्तकरण जीवित थी। अपीलाण्टगण समा पुत्र पुरा की पुत्रियां है, इसकी ताईद पत्रावली संलग्न उनके स्कुल के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रतियां से होती है। हल्का पटवारी द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व समा पुत्र पूरा के विधिक वारिशान की जांच नहीं की, जबकि हल्का पटवारी को नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व समा के विधिक वारिशान की जांच करनी चाहिए थी, उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था एवं उनको सुनवाई का सम्पूर्ण मौका प्रदान करना चाहिए था, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपना कर समा पुत्र पुरा को नाऔलाद फौत मानते हुए, जैर अपील नामान्तरकण दर्ज कर दिया। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1048 दिनांक 13.02.2008 ग्राम कोसेलाव पटवार हल्का कोसेलाव निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत समा पुत्र पुरा जाति घांची निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के विधिक वारिशान की बाद जांच एवं सुनवाई के विधि सम्मत तरीके से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11-7-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली